I/49630/2022

संख्या /उन्तीस(2)/2022–2(126पे0)/2020

प्रेषक,

डॉ0 मेहरबान सिंह बिष्ट,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 14 जुलाई, 2022

विषय :– गढ़वाल मण्डल की 09 उप खण्ड स्तरीय एवं कुमायूं मण्डल की 04 उप खण्ड स्तरीय जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं के भवन निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–838/वि0अनु0/02/शा0अनु0/2022–23 दिनांक 12.05.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गढ़वाल मण्डल की 09 उप खण्ड स्तरीय एवं कुमायूं मण्डल की 04 उप खण्ड स्तरीय जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं के भवन निर्माण योजनाओं की टी0ए0सी0, नियोजन विभाग द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी लागत क्रमशः रू0 415.96 लाख (रू0 चार करोड़ पन्द्रह लाख छियानबे हजार मात्र) एवं रू0 195.75 (रू0 एक करोड़ पिचानबे लाख पिचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2022–23 में निम्न तालिका में उल्लिखित धनराशि व्यय किये जाने हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(धनराशि रू0 लाख में)

| क्र0सं0 | योजना का विवरण | टी0ए0सी0 नियोजन विभाग द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि | अवमुक्त धनराशि |
|---|---|---|---|
| 01 | गढ़वाल मण्डल की 09 उप खण्ड स्तरीय जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं के भवन निर्माण की योजना। (ऋषिकेश, पुरोला, कर्णप्रयाग, सतपुली, देवप्रयाग, कोटद्वार, विकासनगर, द्वारीखाल एवं मसूरी) | 415.96 | 100.00 |
| 02 | कुमायूं मण्डल की 04 उप खण्ड स्तरीय जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं के भवन निर्माण की योजना। (रानीखेत, डीडीहाट, रामनगर एवं हल्द्वानी) | 195.75 | 100.00 |
| | **कुल योग** | **611.71** | **200.00** |

(i) स्वीकृत धनराशि का आहरण मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके किया जायेगा।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2023 तक पूर्ण व्यय कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(iii) कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिडयूल आफ रेटस में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

(iv) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

(v) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृति धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाय।

/2022
30/2022

(vi) निर्माण कार्यों को निर्धारित समय व स्वीकृत लागत में पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए, जिस हेतु निर्माण की प्राथमिकता और समय सीरणी इस प्रकार तैयार की जाए कि निर्माण हेतु उपयुक्त माहों/सीजन का पूर्ण लाभ लिया जा सके और पूर्ण होने वाले कार्य शीघ्र पूर्ण होकर उपयोग में लाये जा सकें।

(vii) कार्य कराने से पूर्व उच्च अधिकारियों एवं भू–गर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से स्थल का भली भॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

(viii) आंगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(ix) उक्त योजना के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली संशोधित, 2017, वित्त नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–05 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनअुल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशो का अक्षरशः कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(x) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाए।

(xi) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाए।

(xii) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाए।

(xiii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड के शासनादेश सं0 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदशों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

2– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक 4215–जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय–01– जलपूर्ति–101–शहरी जलपूर्ति–03–नगरीय पेयजल–04–जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं के भवन निर्माण/संचालन एवं रख रखाव हेतु अनुदान –53–वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3– धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या H22070130017 दिनांक 11 जुलाई, 2022 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या–236/XXVII(1)/2022/9(150)2019 दिनांक 04 अप्रैल, 2022 एवं शासनादेश संख्या–391/09(150)2019/XXVII(1)/2022 दिनांक 24 जून, 2022 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– यह आदेश वित्त अनुभाग–2 की कम्प्यूटर जनरेटेड सं0–48336/2022, दिनांक 07 जुलाई, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

Signed by Meharban Singh Bisht
Date: 13-07-2022 13:52:18

(डॉ0 मेहरबान सिंह बिष्ट)
अपर सचिव।

पृ0सं0– (1)/उन्तीस(2)/2022–2(126पे0)/2020, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. बजट निदेशालय, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।



Generated from eOffice by NAGENDRA SINGH MATHURA, SO-NSM, SECTION OFFICER, Drinking Water Department on 14/07/2022 04:51 PM

/2022 7. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।

30/2022 8. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर देहरादून।

9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

Signed by Sunil Singh
Date: 14-07-2022 14:35:38
(सुनील सिंह)
संयुक्त सचिव।



Generated from eOffice by NAGENDRA SINGH MATHURA, SO-NSM, SECTION OFFICER, Drinking Water Department on 14/07/2022 04:51 PM